भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ

आवंटन नियमावली

1. अकादमी से प्रशिक्षित छात्रों द्वारा निर्देशित नाट्य प्रस्तुतियों के मंचन/पूर्वाभ्यास हेतु दोनों प्रेक्षागृह निर्धारित दरों से 40 प्रतिशत कम किराये की दर से उपलब्ध कराया जायेगा।
2. किसी भी संस्था/व्यक्ति द्वारा नाट्य प्रस्तुति के मंचन हेतु प्रेक्षागृह आरक्षित कराया जाता है तो प्रेक्षागृह आरक्षण के किराये में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
3. वातानुकूलन की सुविधा कार्यक्रम प्रारम्भ होने के एक घण्टे पूर्व तथा कार्यक्रम अवधि सहित कुल तीन घण्टे हेतु उपलब्ध कराई जायेगी। प्रत्येक अतिरिक्त घण्टे के लिए सारिणी में निर्धारित प्रति घण्टे की दर से संस्था/आवेदक को अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
4. प्रेक्षागृह का आरक्षण संस्थाओं/व्यक्तियों को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करने पर तथा पूर्ण शुल्क जमा होने पर किया जायेगा। प्रेक्षागृह 30 दिन से पूर्व आरक्षित नहीं किया जायेगा।
5. रविवार तथा राजपत्रित अवकाश के दिनों में सांस्कृतिक/प्रतियोगिता/नाटक/सेमिनार हेतु बी0एम0शाह प्रेक्षागृह का किराया बिना ए0सी0 के रू0 9000/-(रूपया नौ हजार मात्र) एवं तीन घण्टे ए0सी0 सहित किराया रू0 10,000/-(रूपया दस हजार मात्र) तथा थ्रस्ट प्रेक्षागृह का किराया बिना ए0सी0 के रू0 18000/-(रूपया अट्ठारह हजार मात्र) एवं तीन घण्टे ए0सी0 सहित किराया रू0 20,000/-(रूपया बीस हजार मात्र) का भुगतान करना होगा।
6. विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर जनरेटर संचालन हेतु 20 लीटर प्रति घंटे की दर से व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित व्यक्ति/संस्था को पूर्व में करना होगा।
7. आवेदक संस्था/व्यक्ति द्वारा कार्यक्रम आयोजन के संबंध में जिलाधिकारी से अपेक्षित अनुमति कार्यक्रम प्रारम्भ होने से कम से कम 48 घण्टे पूर्व अकादमी को देनी होगी, अनुमति उपलब्ध न होने पर आरक्षण निरस्त किया जा सकता है।
8. नगर पालिका अथवा राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत आने वाले सभी कर अथवा अधिभार का भुगतान आवेदक संस्था/व्यक्ति को स्वयं निर्वहन करना होगा।
9. अकादमी द्वारा उपलब्ध कराये गये ध्वनि यंत्रों के माइक हेतु बैटरी की व्यवस्था आयोजक संस्था को करनी होगी।
10. आवेदक संस्था व्यक्ति द्वारा भवन अथवा मंच के किसी भी भाग में लोहे की कीलें नहीं लगायी जायेंगी और न ही किसी फर्नीचर आदि को यथा स्थान से हटाकर अन्य स्थान पर ले जाया जायेगा। मंच के पर्दे, साइड विंग्स आदि पर किसी प्रकार की वस्तु/कागज आदि चिपकाना/लगाना सख्त मना है। उल्लंघन होने पर प्रतिभूर्ति राशि जब्त की जायेगी।
11. अकादमी का हर सम्भव प्रयास होगा कि प्रेक्षागृह में उपलब्ध सुविधायें आवेदक संस्था/व्यक्ति को अच्छी प्रकार से उपलब्ध करायी जाये तथा किसी कारण से यदि उपलब्ध नहीं हो पाती तो उसके लिए अकादमी किसी भी प्रकार से जिम्मेदारी न होगी।
12. आवेदक संस्था/व्यक्ति द्वारा अपने कार्यक्रम के लिए बाहर से फर्नीचर, ध्वनिवर्द्धक यंत्र, प्रकाश व्यवस्था संबंधी संयंत्र अकादमी की अनुमति से ही परिसर में लाये जा सकेंगे।
13. आवेदक संस्था/व्यक्ति आरक्षित स्थान अथवा अकादमी परिसर में किसी भी प्रकार की गन्दगी नहीं फैलायेंगे। थूकना व धूम्रपान निषेध है और पूर्णरूप से स्वच्छता का पालन किया जाना अपेक्षित है।
14. किसी भी बाहर के व्यक्ति द्वारा कैटरिंग बिना अकादमी की अनुमति के नहीं की जा सकती है। प्रेक्षागृह में किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री का उपयोग निषिद्ध है।

15. प्रेक्षागृह में गन्दगी फैलाने पर सफाई हेतु धनराशि की कटौती प्रतिभूति राशि से की जायेगी।
16. आवेदक संस्था/व्यक्ति अपने मंचीय कलाकारों की सुविधा के लिए परिचय पत्र अथवा बैज आदि जारी करेगा जिससे कि उन्हें मंच पर आवागमन में असुविधा न हो।
17. आवेदक संस्था/व्यक्ति द्वारा जो प्रेक्षागृह आरक्षित कराया गया है उसके अतिरिक्त अन्य स्थान का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
18. प्रेक्षागृह अकादमी परिसर, मच पर धूम्रपान, मद्यपान पूर्णतया वर्जित है, उल्लंघन करने पर आवेदक संस्था/व्यक्ति पर कार्यवाही की जायेगी और उसकी प्रतिपूर्ति राशि भी जब्त की जायेगी।
19. प्रेक्षागृह के आरक्षण के संबंध में किसी भी प्रार्थना–पत्र को स्वीकार/अस्वीकार करने का, बिना कोई कारण बताये अधिकार, निदेशक, भारतेन्दु नाट्य अकादमी का होगा। जमा की गयी धनराशि बिना किसी ब्याज के वापस की जायेगी। इस संबंध में किसी प्रकार का कम्पनसेशन डैमेज हर्जाना मांगने का अधिकार आवेदक का नहीं होगा। यदि आरक्षण से संबंधित प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाता है तो उस दशा में आवेदक द्वारा जमा की गयी धनराशि वापस कर दी जायेगी।
20. आरक्षण हेतु प्रार्थना–पत्र स्वीकार होने पर यदि प्रेक्षागृह का उपयोग आवेदक/संस्था द्वारा नहीं किया जाता है तो उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि वापस नहीं की जायेगी। यदि आवेदक/संस्था द्वारा आरक्षित तिथि से 10 दिन पूर्व लिखित रूप से पत्र देकर उक्त तिथि को प्रेक्षागृह का उपयोग करने में असमर्थना व्यक्त करता है और यदि उक्त तिथि का उपयोग दूसरी संस्था या व्यक्ति कर लेते हैं उस दशा में पहले आवेदक को उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि की आधी धनराशि वापस कर दी जायेगी।
21. यदि आवेदक संस्था/व्यक्ति से आरक्षित प्रेक्षागृह की किसी वस्तु की क्षति होती है। उदाहरण स्वरूप, भवन, फर्नीचर, विद्युत संयंत्र, बल्ब, लेन्स आदि क्षतिग्रस्त सामग्री की धनराशि की प्रतिपूर्ति संस्था/आवेदन द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति राशि से की जायेगी यदि प्रतिभूति राशि से उक्त प्रतिपूर्ति नहीं होती है तो संस्था/आवेदक द्वारा अलग से धनराशि जमा करनी होगी।
22. आवेदक संस्था/व्यक्ति द्वारा प्रेक्षागृह आरक्षण की निर्धारित तिथि पर प्रेक्षागृह का उपयोग अपरिहार्य स्थिति में न करने पर कम से कम 10 दिवस पूर्व प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह सुविधा अगली तिथि मांग के अनुसार प्रेक्षागृह खाली होने पर एक बार ही प्रदान की जायेगी।
23. लाइट, साउण्ड व अन्य उपकरण यदि अपरिहार्य कारणों से खराब हैं तो संस्था/आवेदक द्वारा उक्त की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

([illegible])
निदेशक
भारतेन्दु नाट्य अकादमी
लखनऊ